आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

आरईसी लिमिटेड

मानवाधिकार नीति

(दिनांक 31.05.2024 को आयोजित 515वीं बोर्ड की बैठक में निदेशक मण्डल के द्वारा अनुमोदित)

1.0 प्रस्तावना

1.1 आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक 'महारत्न' संगठन है और इसे आरबीआई द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम (एनबीएफसी), एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन (आईएफसी) के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, जो पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी, केंद्रीय और निजी संस्थाओं को विस्तारित ऋण और विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। देश भर में रणनीतिक रूप से स्थित 22 राज्य कार्यालयों के साथ, आरईसी कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, यह आरईसीपीडीसीएल और आरईसीआईपीएमटी जैसी अनुषंगी कंपनियों का संचालन करता है, जो प्रशिक्षण संस्थान हैं और इसकी पहुंच और प्रभाव को और बढ़ाते हैं ।

1.2 पर्यावरण और लोगों के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता इसकी कॉर्पोरेट दूरदर्शिता और मिशन, संगठन द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रणालियों के माध्यम से मजबूत होती है। इसका लक्ष्य और दूरदर्शिता त्वरित विकास के लिए विद्युत की उपलब्धता को सुगम बनाना और ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के साथ देश में बिजली उत्पादन, बिजली संरक्षण, बिजली पारेषण और बिजली वितरण नेटवर्क को कवर करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल और विकासोन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना है। यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक और अंतर्निहित प्रकृति को मान्यता देता है और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के इन अधिकारों के अधिकार की पुष्टि करता है।

1.3 आरईसी की मानवाधिकार नीति सभी हितधारकों को कवर करती है। इसके अंतर्गत नियमित कार्मिकों से लेकर आउटसोर्स कार्मिक, शेयरधारक, निवेशक एफ़आईआई बीमा कंपनियाँ, बैंकर, सप्लायर, भागीदार आदि सभी शामिल हैं। आरईसी अपने कार्य में शामिल हर व्यक्ति से उम्मीद करता है कि वह अपने कार्य में मानवाधिकार सिद्धांतों को बनाए रखेगा। आरईसी अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.4 आरईसी ने अपनी सतत पोषणीय दूरदर्शिता को पूरा करने के प्रयासों के तहत यह नीति बनाई है जो मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए निष्पक्ष और समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति एक अधिक सतत पोषणीय भविष्य प्राप्त करने की इसकी योजना का भाग है।

2.0 परिचय

2.1 आरईसी प्रतिबद्ध है:

(क) सभी हितधारकों के मानवाधिकारों का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के लिए।

(ख) अपने कार्मिकों और हितधारकों के लिए मानवाधिकारों पर प्रशिक्षण प्रदान करना/जागरूकता सत्र आयोजित करने के लिए।

(ग) कार्यस्थल को लिंग, नस्ल, जातीयता, आयु, जाति, धर्म, दिव्यांगता, यौन ओरिएंटेशन और ऐसे अन्य मापदंडों के आधार पर भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए।

(घ) सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए।
(ङ) न्यूनतम वेतन मजदूरी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना और अपने कार्मिकों को समान, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए।
(च) अपने कार्मिकों को स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए।
(छ) कार्मिकों के स्वतंत्र रूप से जुड़ने के अधिकारों का सम्मान करने के लिए।

भारत का संविधान, जिसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, कुछ बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 गारंटी देता है कि सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकारों को अदालत में (न्यायपालिका के माध्यम से) लागू किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय सरकार, राज्य विधानमंडल और भारत के सभी स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं। चूँकि आरईसी लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक उद्यम है, यह भी "राज्य" की इस परिभाषा के अंतर्गत आता है।

3.0 नीतिगत ढांचा

3.1 आरईसी लिमिटेड अपने सभी हितधारकों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, चाहे वह कहीं भी हो। निगम यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ स्थापित मानवाधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, आरईसी लिमिटेड भारतीय संविधान में निहित अधिकारों को बरकरार रखता है।

3.2 आरईसी सभी कार्मिकों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण को अपनाता है। यह अपने कार्मिकों को एक सुरक्षित, साफ और स्वस्थ कार्य वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से पूरी तरह से मुक्त है। यह भारत सरकार के सभी मानक प्रणालियों का पालन करते हुए अपने कार्मिकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है और सिद्धांतों और सर्वोत्तम प्रणालियों से संबंधित उच्च मानदंड बनाए रखने का प्रयास करता है। यह व्यवसायी संघों में शामिल होने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। आरईसी लिमिटेड जबरन अनिवार्य या बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है और समान अवसर मानकों को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसकी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि और संचालन में कोई भेदभाव न हो।

3.3 आरईसी अपनी व्यापारिक गतिविधियों में श्रम क़ानूनों को शामिल करता है। इन क़ानूनों में बाल श्रम, जबरन मजदूरी, संघ प्रतिनिधित्व अधिकारों (सामूहिक सौदेबाजी सहित) की स्वतंत्रता को बनाए रखना, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, दिव्यांगता, नस्ल, जातीयता, वंश, स्वदेशी स्थिति, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म, राजनीतिक विचार, यौन ओरिएंटेशन या एचआईवी/एड्स की स्थिति के आधार पर गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड कार्मिकों के सीखने की प्रक्रिया तथा विकास (प्रशिक्षण सत्र) और उचित आचरण मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम से इस प्रतिबद्धता को बनाए रखता है।

3.5 आरईसी लिमिटेड अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों सहित अपनी व्यावसायिक गतिविधियों और परिचालनों की नियमित लेखापरीक्षा और मूल्यांकन करता है ताकि मानवाधिकार सिद्धांतों के प्रति उनके पालन को सत्यापित और सुनिश्चित किया जा सके।

3.6 यह नीति प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु नियमित परिवर्तनों के इरादे के साथ समीक्षा के अधीन है। इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन नियमों को लागू किया जाएगा।

4.0 प्रयोज्यता

यह नीति सभी आरईसी लिमिटेड के कार्मिकों और संबंधित हितधारकों (सामूहिक रूप से "निगम" के रूप में संदर्भित) पर बाध्यकारी है। यह निगम से जुड़े सभी शेयरधारकों, निवेशकों, एफआईआई, बीमा कंपनियों, व्यावसायिक भागीदारों आदि के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है, जो उन्हें यहाँ उल्लिखित सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

5.0 सिद्धान्त

5.1 श्रम कानूनों और विनियमों का अनुपालन: आरईसी लिमिटेड एक ऐसा कार्यस्थल विकसित करता है जो विविधता को अपनाता है और अपने सभी कार्मिकों और संबंधित हितधारकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। निगम अपने संचालन में किसी भी भेदभाव से मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल श्रम, जबरन श्रम और मानव तस्करी के लिए इसकी सख्त नो-टॉलरेंस नीति है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इनमें से कोई भी प्रणाली इसके व्यावसायिक संचालन या सुविधाओं के भीतर न हो, आरईसी लिमिटेड इस प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाता है।

5.2 कार्मिकों के हितों का सम्मान :

निगम अपने कार्मिकों के रोजगार से संबंधित मामलों में निगम की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार संघ की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है और उसका सम्मान करता है। इसमें किसी समस्या और प्रतिशोध के डर के बिना अपनी आवाज उठाने की क्षमता शामिल है। निगम कार्मिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है।

5.3 उत्पीड़न से सुरक्षा

निगम अपने कार्मिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह शारीरिक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक हो। निगम यौन उत्पीड़न और/या किसी भी ऐसे आचरण के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' रखता है और उसे प्रतिबंधित करता है जो आपत्तिजनक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें अवांछित या अनचाहे यौन प्रस्ताव शामिल हैं। एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) यौन दुराचार के किसी भी मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करती है

और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आरईसी लिमिटेड सभी महिला कार्मिकों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.4 कार्यस्थल पर सुरक्षा

निगम दुर्घटनाओं, चोटों और खतरों के जोखिमों को निरंतर आधार पर हल करके एक सुरक्षित, स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता, निगरानी और भागीदारी की संस्कृति को सीधे या एजेंसी या निविदाकार के माध्यम से लागू करने पर केंद्रित है।

आरईसी लिमिटेड के परिसर में सुरक्षा उपायों से संबंधित लगातार मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं, जिसमें कार्मिकों को उचित निवारण के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों से संबंधित समस्याओं या कोई भी सुझाव बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5.5 निजता का अधिकार

निगम अपने कार्मिकों एवं दूसरे हितधारकों के निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम कभी भी अपने हितधारकों की अनुमति के बिना उनकी निजी जानकारी/डाटा अन्य पार्टी को नहीं देता है, जब तक कानून/राज्य प्राधिकरण इसे न मांगे।

6.0 शिक्षण एवं विकास तंत्र:

आरईसी अपने कार्मिकों के लिए पूरे वर्ष कई स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सत्र आयोजित करता है। निगम अपने कार्मिकों के समग्र विकास के लिए विभिन्न शिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करता है, जिसमें संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं। ये कार्यक्रम डोमेन विशिष्ट क्षेत्रों के साथ-साथ कार्मिकों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जैसे तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित, सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्माण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, माइंडफुलनेस, कार्य जीवन संतुलन, स्वस्थ जीवन शैली आदि।

7.0 शिकायत निवारण प्रणाली:

मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, आरईसी ने सभी हितधारकों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक मजबूत, कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और खुला शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र को ऐसी समस्याओं को ट्रैक करने, निगरानी करने और तुरंत जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पीड़ित पक्षों को प्रभावी समाधान मिल सके।

विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, साथ ही समिति के विवरण भी दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पीड़ित कार्मिक की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। नीति में कोई भी बदलाव या अद्यतन सभी कार्मिकों को इंट्रानेट और नोटिस बोर्ड (ई-नोटिस बोर्ड सहित) के माध्यम से उचित और सार्थक तरीके से सूचित किया जाता है।

8.0 समीक्षा एवं निगरानी

8.1 आरईसी लिमिटेड मानवअधिकारों नीति से जुड़ी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का सदैव स्वागत करता है। इस संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया अथवा टिप्पणी सीधे मानव संसाधन विभाग को भेजी जा सकती है।

8.2 संशोधन/व्याख्या- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अथवा जैसा उचित समझा जाए, इस नीति के किसी या सभी प्रावधानों की व्याख्या, स्पष्टीकरण, संशोधन/परिवर्तन अथवा समाप्ति के लिए सशक्त एवं प्राधिकृत है।

****